



ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक 2022

प्रलिस के लयः

ऊर्जा संरक्षण अधनियम 2001, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफशिएसी, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन क्रेडिट, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ग्रीन बॉन्ड, UPSC CSE PYQ।

मेन्स के लयः

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक 2022 और इसके उद्देश्य।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वदियुत मंत्रालय ने [लोकसभा](#) में **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक 2022** पेश किया है।

- वधियक में कार्बन बचत प्रमाणपत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे परिवर्तनों को पेश करने के लिये [ऊर्जा संरक्षण अधनियम 2001](#) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जसि अंतमि बार वर्ष 2010 में संशोधति किया गया था।

ऊर्जा संरक्षण अधनियम 2001 के प्रावधानः

- ऊर्जा दक्षता मानदंडः**
 - यह केंद्र को 100 किलोवाट लोड से अधिक या 15 किलोवाट-एमपीयर (KVA) से अधिक की संवदात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और इमारतों के लिये ऊर्जा दक्षता के मानदंडों एवं मानकों को नरिदषिट करने का अधिकार देता है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरोः**
 - ऊर्जा संरक्षण अधनियम, 2001 के तहत [ऊर्जा दक्षता ब्यूरो \(BEE\)](#) की स्थापना की गई।
 - वर्ष 2010 के संशोधन ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानदिशक के कार्यकाल को तीन से बढ़ाकर पाँच साल कर दिया।
 - यह ब्यूरो वभिन्नि उद्योगों की बजिली खपत की नगिरानी और समीक्षा करने वाले ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिये आवश्यक योग्यताएँ नरिदषिट कर सकता है।
- ऊर्जा व्यापारः**
 - सरकार उन उद्योगों को [ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र](#) जारी कर सकती है जो अपनी अधिकतम आवंटति ऊर्जा से कम खपत करते हैं।
 - हालाँकि, यह प्रमाण पत्र उन ग्राहकों को बेचा जा सकता है जो ऊर्जा व्यापार के लिये एक ढाँचे हेतु अपनी अधिकतम अनुमत ऊर्जा सीमा से अधिक खपत करते हैं।
- नरिदषिट मानदंडों के अनुरूप होने तक नषिधः**
 - अधनियम केंद्र को कसिी वशेष उपकरण के नरिमाण, बकिरी, खरीदार आयात को प्रतबिधति करने की अनुमतदिता है जब तक कयिह छह महीने/एक वर्ष पहले जारी कये गए नरिदषिट मानदंडों के अनुरूप न हो।
- दंडः**
 - अतरिकित ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी अधिक खपत के अनुसार दंडति कयिा जाएगा।
 - केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारति ऐसे कसिी भी आदेश के खिलाफ कसिी भी अपील की सुनवाई ऊर्जा अधनियम, 2003 के तहत पहले से स्थापति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी।

अधनियम में प्रस्तावति संशोधनः

- अक्षय ऊर्जा का हसिसाः**
 - औद्योगिक इकाइयों या कसिी प्रतषिठान द्वारा उपभोग की जाने वाली **नवीकरणीय ऊर्जा** के न्यूनतम हसिसे को परभाषति करना।
 - यह खपत सीधे अक्षय ऊर्जा स्रोत से या परोक्ष रूप से पावर ग्रिड के माध्यम से की जा सकती है।
- स्वच्छ ऊर्जा के लिये प्रोत्साहनः**

- कार्बन बचत प्रमाणपत्र जारी कर स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के प्रयासों को प्रोत्साहन देना ।
- नज्दी क्षेत्र को जलवायु कार्रवाई के लिये आकर्षित करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिये कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना ।
- **संबंधित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना:**
 - मूल रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसे अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना ।
- **ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना:**
 - उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में मदद करना ।
- **संरक्षण मानकों के दायरे में वृद्धि:**
 - स्थायी आवासों को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा संरक्षण मानकों के तहत बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना ।
 - वर्तमान में केवल बड़े उद्योग और उनके भवन ही अधिनियम के दायरे में आते हैं ।

प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य:

- जीवाश्म ईंधन के माध्यम से भारत की बजिली की खपत को कम करना और इस तरह देश के **कार्बन फुटप्रिंट को कम** करना ।
- भारत के **कार्बन बाज़ार** को विकसित करना और **स्वच्छ प्रौद्योगिकी** को अपनाने को बढ़ावा देना ।
- **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारित योगदान (NDCs)** को पूरा करना, जैसा कि पेरिस जलवायु समझौते में इस लक्ष्य (वर्ष 2030 के पहले) का उल्लेख किया गया है ।

भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएँ:

- भारत ने **पेरिस जलवायु समझौते** के तहत NDCs के हिससे के रूप में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35% तक की कमी लाकर इसे वर्ष 2005 के कार्बन उत्सर्जन स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।
- भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा संसाधनों से अपने बजिली के 40% से अधिक हिससे का उत्पादन करने का भी वादा किया है ।
- वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 550 मीट्रिक टन (Mt) तक कम करने के लिये, भारत ने अपने वृक्ष और वनावरण को बढ़ाकर 2.5 -3 बिलियन टन कार्बन सकि के नरिमाण के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।
- नवंबर, 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने NDCs को संशोधित किया । **भारत के पाँच नए जलवायु लक्ष्य हैं:**
 - वर्ष 2030 तक इसकी **गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW** तक बढ़ाना
 - अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भारत की **50% बजिली की मांग** को पूरा करना
 - भारतीय अर्थव्यवस्था की **कार्बन तीव्रता को 45%** तक कम करना ।
 - वर्ष 2021 से 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना ।
 - वर्ष 2070 तक देश शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना ।

भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय:

- **घरेलू सौर वनरिमाण:**
 - वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने भारत में घरेलू सौर वनरिमाण को बढ़ावा देने के लिये 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं ।
- **बायोमास को-फायरिंग:**
 - ताप वदियुत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिये 5-7% बायोमास का उपयोग ।
- **ईंधन सममशिरण:**
 - ईंधन सममशिरण को बढ़ावा देने के लिये मशिरति ईंधन पर 2 रुपये/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा ।
- **बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी:**
 - स्वच्छ परिवहन प्राप्त करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी ।
- **ग्रीन बॉण्ड:**
 - ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये पूँजी जुटाने हेतु सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को नधिप्रदान करने हेतु 'ग्रीन बॉण्ड' जैसे नशिचत वित्तीय तरीके से आय का सृजन करना । ऐसे सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड का उपयोग ऐसी जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में किया जा सकता है, जनिमें नज्दी वित्त पोषण की कमी होती है ।

स्रोत: द हद्रि